

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति VWSC को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0प0- 4312-114 पु.2 राजस्व ग्राम देव मन्त्री वि0ख0- ओराई जनपद- भदोही

ग्राम पंचायत में दिनांक 05/04/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आयोजित किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति VWSC का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण	वय	पदनाम	मोबाईल न0
1	रेस्म देवी शिना देवी	अनु० जाति	35	अध्यक्ष	7398938794
2	राजदेव पाण्डेय	सामान्य	45	सचिव	9555321924
3	सुनीता देवी	पिछडा वर्ग	55	कोषाध्यक्ष	9839439063
4	पुष्पा देवी	पिछडा वर्ग	30	सामान्य सदस्य	7570028564
5	गीता देवी	पिछडा वर्ग	35	सामान्य सदस्य	9838256171
6	अमरेश्वर	अनु० जाति	38	सामान्य सदस्य	9335863956
7	पिन्डू कुमार	अनु० जाति	45	सामान्य सदस्य	8354074428
8	उषा देवी	पिछडा वर्ग	45	सामान्य सदस्य	8217793244
9	विजयराज	अनु० जाति	47	सामान्य सदस्य	9794101424
10	मन्मथ देवी	अनु० जाति	40	सामान्य सदस्य	9118789849
11	प्रमता देवी	अनु० जाति	32	सामान्य सदस्य	8429324269
12	विनोद कुमार	अनु० जाति	38	सामान्य सदस्य	7388456952
13	राज सत्यप्रकाश	अनु० जाति	42	सामान्य सदस्य	7310217406
14	ओमप्रकाश	अनु० जाति	37	सामान्य सदस्य	9628465851
15	रन्तोष कुमार	अनु० जाति	36	सामान्य सदस्य	9794241264

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग/ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं/ सेवाओं हेतु रख-रखाव/ उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।